न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–143/2015

निर्णय दिनांकः–25.01.2018

उनवान

1. रमेश पुत्र रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
2. श्योदयाल पुत्र रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
3. शंकर पुत्र रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
4. गुलाब पत्नि रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
5. कस्तुरी पत्नि रामस्वरूप जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
6. रामराय पुत्र प्रतापा जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
7. सीताराम पुत्र प्रतापा जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
8. राधाकिशन पुत्र प्रतापा जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
9. रामअवतार पुत्र प्रतापा जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
10. मेघराज पुत्र रामकैलाश जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
11. सूरज पुत्र रामकैलाश जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
12. सीता पुत्री रामकैलाश जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
13. केशन्ता पुत्री रामकैलाश जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
14. मनीषा पुत्री रामकैलाश जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
15. सायर पत्नि रामकैलाश जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई
16. रामप्यारी पुत्री प्रतापा जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील निवाई

–आवेदकगण

बनाम

तहसीलदार सा. निवाई

–अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट
बाबत दुरूस्त किये जाने शीट

उपस्थितः– श्री नारायण सिंह राजावत वकील प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि आवेदकों की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 162 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम गोपालपुरा तह. निवाई में स्थित है जिस पर आवेदकगण पूर्णतया काबिज मालिक खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि जिसके पूर्व उत्तर में भी प्रार्थीगण के भाई सुवा पुत्र छीतर की भूमि ख.नं. 89/2 प्रार्थीगण के खेत की ओर आधे से भी कम रकबे तक पूर्व पश्चिम स्थित है परन्तु वर्तमान प्रार्थीगण के मूल रकबे ख. नं. 162 को कम करते हुए राजस्व कर्मचारियों ने वर्तमान नक्शा शीट में कम दर्शाया गया है। प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 162 को प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 89/2 के समानान्तर पूर्व पश्चिम शीट को दुरूस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 162 को प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 89/2 के समानान्तर 89/2 की सीमा से पूर्व तक समानान्तर अंकित किया जाकर वर्तमान हॉल राजस्व शीट को सही व दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी तहसीलदार निवाई की ओर से जवाब पेश किया गया कि मुताबिक रिकॉर्ड उक्त नम्बर का रकबा 05.00 बीघा दर्ज है। लेकिन शीट में उक्त नम्बर की रकबा बरारी करने पर रकबा 02.00 बीघा ही बैठता है। पडौसी नम्बरों की रकबा बरारी कर जांच की गई। ख.नं. 161 का रकबा मुताबिक शीट की रकबा बरारी के 07.07 बीघा आता है जबकि मुताबिक रिकॉर्ड रकबा 04.07 बीघा ही दर्ज है। शेष रकबा 03.00 बीघा ख.नं. 162 में शामिल होना चाहिए। मौके पर कब्जा उक्तानुसार ही है। अतः ख.नं. 161 में से 03.00 बीघा रकबा ख.नं. 162 में शामिल किया जाना उचित है। कब्जानुसार नक्शा ट्रेस संलग्न है।

प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत आवेदन का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि आवेदकों की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 162 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम गोपालपुरा तह. निवाई में स्थित है जिस पर आवेदकगण पूर्णतया काबिज मालिक खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि जिसके पूर्व उत्तर में भी प्रार्थीगण के भाई सुवा पुत्र छीतर की भूमि ख.नं. 89/2 प्रार्थीगण के खेत की ओर आधे से भी कम रकबे तक पूर्व पश्चिम स्थित है परन्तु वर्तमान प्रार्थीगण के मूल रकबे ख.नं. 162 को कम करते हुए राजस्व कर्मचारियों ने वर्तमान नक्शा शीट में

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

कम दर्शाया गया है। प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 162 को प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 89/2 के समानान्तर पूर्व पश्चिम शीट को दुरूस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 162 को प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 89/2 के समानान्तर 89/2 की सीमा से पूर्व तक समानान्तर अंकित किया जाकर वर्तमान हॉल राजस्व शीट को सही व दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

बहस का मनन व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ख.नं. 161 का रकबा मुताबिक शीट की रकबा बरारी के 07.07 बीघा आता है जबकि मुताबिक रिकॉर्ड रकबा 04.07 बीघा ही दर्ज है। शेष रकबा 03.00 बीघा ख.नं. 162 में शामिल होना चाहिए। अतः तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 161 में से 03.00 बीघा भूमि की तरमीम आवेदकों की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 162 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम गोपालपुरा तह. निवाई को प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 89/2 के समानान्तर 89/2 की सीमा से पूर्व तक समानान्तर अंकित किया जाकर वर्तमान हॉल राजस्व शीट को प्रस्तुत सही व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/1/18

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner